



सूचना का
अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला-रायपुर

—00—

पंजी क. 2285 जी-802/2019/1-13
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर, दिनांक/8 सितम्बर, 2019

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (8) के तहत अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत करने के संबंध में कारण दर्शाया जाना ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (8) में यह प्रावधान है कि जहां किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां यथा स्थिति लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को :-

1. ऐसी अस्वीकृति का कारण ।
2. वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी ।
3. प्रथम अपीलीय अधिकारी की विशिष्टियां संसूचित करेगा ।

2/ कृपया आपके अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त जनसूचना अधिकारी को अधिनियम के उक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने हेतु, निर्देशित करने का कष्ट करें ।

Janak
(पी.के. जोशी)
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

पृ.क. 2286 जी-802/2019/1-13
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर, दिनांक/8 सितम्बर, 2019

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/766/2016/रायपुर, आर्डरशीट में पारित आदेश दिनांक 14.03.2019 के पृ.क. 2227/वा-2/शि.प्र.क. 766/2016, दिनांक 10.05.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

Janak
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,

Janak